म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र0/बोर्ड/ निर्माण/दिशा-निर्देश/2023-24/ 495   भोपाल, दिनांक 12/0 /2023

परिपत्र

विषयः- प्रदेश अंतर्गत मंडी बोर्ड तथा मंडी/उपमंडी के नियंत्रणाधीन कार्यालय/आवासीय परिसरों सहित मंडी/उपमंडी प्रांगण में निर्मित/आवंटित संरचनाओं में अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा उपाय के संबंध में।

प्रदेश अंतर्गत मंडी बोर्ड तथा मंडी/उपमंडी के नियंत्रणाधीन कार्यालय/आवासीय परिसरों सहित मंडी/उपमंडी प्रांगण में निर्मित/आवंटित संरचनाओं क्रमशः गोदाम/ शॉप-कम- गोदाम/ विविध दुकान इत्यादि में सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता एवं तदोपरांत प्रदायता में कमी/ वृद्धि के अस्थिर प्रवाह के कारण शार्ट-सर्किट इत्यादि की स्थिति के दौरान अप्रत्याशित आगजनी इत्यादि घटना की संभावना बनी रहती है।

उपरोक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावना अंतर्गत कार्यालय/आवासीय परिसरों सहित व्यवसायिक संरचनाओं में अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा उपाय के लिए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है :-

(1) विद्युत सेवा से संबंधित स्थापित सामग्रियों का निरन्तर निरीक्षण कराकर उनके उपयोग प्रदर्शन की पुष्टि की सतत् कार्यवाही प्रचलन में रखी जावें।

(2) वातानुकूलित सेवाओं से संबंधित सयंत्रों का निरन्तर निरीक्षण कराकर उनके उपयोग प्रदर्शन की पुष्टि इत्यादि के उपरांत ही इनका उपयोग किया जावें।

(3) किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री एवं पुराने समाचार पत्र एवं अनुपयोगी कागजों को कार्यालय परिसर में एकत्रित कर नहीं रखा जावें।

(4) कार्यालय/आवासीय परिसर में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जावें।

(5) मंडी बोर्ड/मंडी समितियों के कार्यालय भवन/परिसरों में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) के क्रय की कार्यवाही म0प्र0 भण्डार क्रय एवं उपार्जन नियम 2015 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हुए बोर्ड/ मंडी समिति के स्वीकृत बजट के अंतर्गत की जावें ।

(6) मंडी समितियां, मंडी/ उपमंडी प्रांगणों में निर्मित अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को आवंटित किये गये गोदाम/ शॉप-कम-गोदाम/ विविध दुकान इत्यादि में आवंटितियों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 02 नग अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) की उपलब्धता स्वयं के संसाधनों से सुनिश्चित करने के आबद्धकारी निर्देश जारी कर, अनुपालन सुनिश्चित करावेंगी ।

अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।

(गौतम सिंह)
प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र0/बोर्ड/ निर्माण/दिशा-निर्देश/2023-24/ 496 भोपाल, दिनांक 12/04/2023

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(1) अपर संचालक /संयुक्त संचालक/ उपसंचालक (समस्त), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।

(2) संयुक्त संचालक / उपसंचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय ....(समस्त) ।

(3) अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।

(4) कार्यपालन यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग ....(समस्त) ।

(5) सचिव, कृषि उपज मंडी समिति............................(समस्त) ।

प्रबंध संचालक सह-आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल